पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पूजा एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या- 193/2025

10 अप्रैल, 2025

(अशुतोष कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और पार्थ सार्थी, न्यायाधीश)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा बनाए गए नियम, अर्थात् 2014 के विवादित नियम, फार्मासिस्ट के लिए केवल फार्मेसी में डिप्लोमा को मूल/आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकते हैं, जबकि 1948 के फार्मेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् 2015 के फार्मेसी प्रैक्टिस नियमों के तहत, फार्मेसी के पेशे के लिए मूल योग्यताएं डिप्लोमा/बैचलर डिग्री इन फार्मेसी हैं;
2. क्या प्रश्न में दिए गए नियम केंद्रीय सरकार के अधिग्रहित क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं;
3. क्या बी. फार्मा/एम. फार्मा डिप्लोमा फार्मेसी (डी. फार्मा) से उच्च योग्यता है?
4. क्या बी. फार्मा/एम. फार्मा एक ही अध्ययन के चैनल में है, जो फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम/अवांछित योग्यता को अपने में समाहित करता है?

हेडनोट्स

फार्मेसी अधिनियम, 1948—धारा 10—बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014—नियम 6(1)—फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015—याचिकाकर्ता बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री धारक हैं और बिहार राज्य फार्मेसी पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत हैं—डिप्लोमा धारक आमतौर पर विभिन्न स्वास्थ्य विभागों में काम करते हैं, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर फार्मेसी में आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र में लगे होते हैं जहाँ दवाएं और कॉस्मेटिक्स निर्मित होते हैं।—डिप्लोमा और स्नातक अलग-अलग विषयों में अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षित होते हैं।

निर्णीत: डिप्लोमा धारक के पास नियुक्तियों का कोई और रास्ता नहीं है और उन्होंने अस्पताल-देखभाल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर नियम बनाए जाने की बात कही गई है - स्नातक डिग्री धारकों को बाहर नहीं रखा गया है बशर्ते कि वे फार्मेसी में डिप्लोमा की बुनियादी योग्यता रखते हों - अपील किए गए वर्ग नियमों ने फार्मेसी में स्नातकों/अधिस्नातकों पर किसी असमान हानि का बोझ नहीं डाला है - फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण और वर्ग नियमों में यह "नोट" कि उच्च डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं लेकिन बशर्ते कि उन्होंने डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता प्राप्त की हो, यह न तो मनमाना है और न ही स्वकृता से बहिष्करणात्मक है - फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को किया गया अनुरोध पूरी तरह से अप्रत्याशित था - याचिकाओं का निपटारा किया गया।

(पैराग्राफ **96, 110, 113, 114, 116)**

समानता का सिद्धांत - राज्य की कोई भी कार्रवाई जो संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार का कथित रूप से उल्लंघन करती है, उसे तीन मानदंडों पर परीक्षण करने की आवश्यकता होती है:

(क) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए;

(ख) प्रस्तावित कार्रवाई एक लोकतांत्रिक समाज में एक वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक है; और

(ग) ऐसी बाधा की अनुमति की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि यह ऐसी बाधा की आवश्यकता के अनुरूप हो।

(पैराग्राफ 35)

पेशे—अर्थ—एक ऐसा कार्य जिसे एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और विशेष योग्यताओं, प्रशिक्षण या कौशल के आधार पर करता है।

व्यावसायिक कार्य—अर्थ—नियमित काम, पेशा, नौकरी, मुख्य गतिविधि, रोजगार, कारोबार या एक ऐसा कार्य जिसमें एक व्यक्ति संलग्न होता है।

(पैराग्राफ 41)

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अधिनियम की वैधता का परीक्षण करने के लिए अपनाए गए और लागू किए गए विभिन्न परीक्षणों की गणना की, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य:-

1. यह कि एक कानून संविधान के अनुसार हो सकता है, भले ही वह एक एकल व्यक्ति से संबंधित हो जो स्वयं एक वर्ग के रूप में व्यवहार किया जा सकता है;

2. यह कि किसी अधिनियम की संविधानिकता के पक्ष में हमेशा एक प्रेक्षापत्र होता है और उस पर बोझ होता है जो इसे चुनौती देता है यह दिखाने के लिए कि सांविधानिक सिद्धांतों का एक स्पष्ट उल्लंघन हुआ है;
3. यह मान लेना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझती है और सही तरीके से आकलन करती है और उसके कानून समस्याओं की ओर निर्देशित हैं, जो अनुभव से स्पष्ट होती हैं और उसकी भेदभाव पर्याप्त कारणों पर आधारित है;
4. यह कि विधायिका को हानि की डिग्री को मान्यता देने की स्वतंत्रता है और यह अपनी पाबंदियों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहाँ आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है;
5. इसलिए, संविधानिकता के अनुमान को बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, उस समय के इतिहास को ध्यान में रख सकता है और उन सभी तथ्यों की धारण कर सकता है जो कानून बनाने के समय मौजूद माने जा सकते हैं;
6. यह कि यह मान लेना चाहिए कि एक विधायिका की अच्छी नीयत और मौजूदा परिस्थितियों का ज्ञान है, यदि कानून के चेहरे पर या उन आसपास की परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं है जो अदालत के नोटिस में लाया गया हो और जिस पर वर्गीकरण को उचित रूप से आधारित माना जा सके।

(पैराग्राफ 45)

न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य बनाम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा (1952) 1 एससीसी 528; मुंहम्मद हनीफ कुरेशी बनाम बिहार राज्य एआईआर 1958 एससी 731; महंथ मोती दास बनाम एस.पी. शाही एआईआर 1959 एससी 942; बी.आर. एंटरप्राइजेस बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (1999) 9 एससीसी 700; बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड (1997) 2 एससीसी 453; हमदारद दवाखाना (वक्फ) बनाम भारत संघ; एआईआर 1960 एससी 554; आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ; (1981) 4 एससीसी 675; भारत संघ और अन्य बनाम हेमराज सिंह चौहान और अन्य (2010) 4 एससीसी 290—भरोसा किया गया।

नायर सेवा सोसाइटी बनाम डॉ. टी. बीरमस्थन और अन्य (2009) 5 एससीसी 545; के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ (2019) 1 एससीसी 1; सोदन सिंह और अन्य बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति और अन्य (1989) 4 एससीसी 155; मन्न बनाम इलिनोइस (1994) यू.एस. 113, 154 (1876); ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) 3 एससीसी 545; दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य (1991) सप्लीमेंट 1 एससीसी 600; श्री आर.के. डाल्मिया बनाम श्री जस्टिस एस.आर. तेंडोलकर और अन्य एआईआर 1958 एससी 538; चंद्रशेखर सिंह और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 336/2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 595; पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2025) 1 एससीसी 1/2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1860; भारत के फार्मेसी परिषद बनाम डॉ. एस.के. टोस्निवाल एजुकेशनल ट्रस्ट विदर्भा इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी और अन्य (2021) 10 एससीसी 657; डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ एआईआर 1983 एससी 130; बिहार राज्य विद्युत (धारण) कंपनी लिमिटेड को इसके अध्यक्ष और अन्य बनाम मोहम्मद आसिफ हुसैन और अन्य, एल.पी.ए. संख्या 1416 वर्ष 2018; ज्योति के.के. और अन्य बनाम केरल लोक सेवा आयोग और अन्य (2010) 15 एससीसी 596; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम अब्दुल गफ्फार खान और अन्य (2006) 11 एससीसी 153; पंजाब राज्य और अन्य बनाम अनीता और अन्य (2015) 2 एससीसी 170; पी.एम. लता और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2003) 3 एससीसी 541; योगेश कुमार और अन्य बनाम सरकार (दिल्ली सरकार) (2003) 3 एससीसी 548; बिहार राज्य विद्युत धारण कंपनी लिमिटेड द्वारा इसके अध्यक्ष और दो अन्य बनाम मोहम्मद आसिफ हुसैन और पांच अन्य, एस.एल.पी. संख्या 1187 वर्ष 2019; बिहार राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार और अन्य, एल.पी.ए. संख्या 158 वर्ष 2020; पी.एम. लता बनाम केरल राज्य (2003) 3 एससीसी 541; ज़हूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद (2019) 2 एससीसी 404; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य (2008) 6 एससीसी 1; के.टी. प्लांटेशन (प्राइवेट लिमिटेड) और अन्य बनाम कर्नाटका राज्य (2011) 9 एससीसी 1; वी.के. सूद बनाम सचिव, नागरिक उड्डयन और अन्य 1993 एससीसी (एलएनएस) 907/1993 सप्लीमेंट (3) एससीसी 9; बी.एस. वेदेरा बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1969 एससी 118: 1968 एससीसी ऑनलइन एससी 39— निर्दिष्ट किया गया।

अधिनियमों की सूची

फार्मेसी अधिनियम, 1948; बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014; बिहार फार्मासिस्ट कैडर (संशोधन) नियम, 2024; फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015; बी. फार्मा पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

मुख्य शब्दों की सूची

फार्मेसी अधिनियम, 1948; बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014; बिहार फार्मासिस्ट कैडर (संशोधन) नियम, 2024; फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015; बी. फार्मा पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

प्रकरण से उत्पन्न

बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014 के कार्यों, नियमों और विनियमों आदि की वैधता।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता; श्री रौशन, अधिवक्ता; श्री शुभम् प्रियदर्शी, अधिवक्ता; सुश्री श्रेयशी राज, अधिवक्ता।

यूओआई की ओर से : श्री बिन्ध्याचल राय, अधिवक्ता

बीटीएससी की ओर से : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता; श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता; श्री विकास कुमार, अधिवक्ता; श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता; श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7; सुश्री सुप्रज्ञा, एसी टू जीपी-7।

पी.सी.आई. की ओर से : श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल रंजन तिवारी, अधिवक्ता; श्री राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता; श्री उत्सव, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 313/2025

==========

संजीव कुमार मिश्रा, पिता- नरसिंह मिश्रा, निवासी- भरपुरवा, थाना- विजयपुर, जिला- गोपालगंज।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. भारत संघ, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
4. द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर-02, कम्युनिटी सेंटर, मां आनंदमाई मार्ग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, भारतीय फार्मेसी परिषद, एनबीसीसी केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या-02, सामुदायिक केंद्र, मां आनंदमाई मार्ग, ओखला चरण-1, नई दिल्ली।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 72/2025

==========

1. अभिषेक कुमार, पिता- रामजन्म शर्मा, निवासी- लोहारपट्टी फुल्गुनी, थाना-थावे, जिला- गोपालगंज।
2. विमल कुमार, पिता- दयानंद प्रसाद, निवासी- बीरपुर, बेलाव, थाना- बरबीघा, जिला- शेखपुरा।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।

4. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
5. भारतीय फार्मेसी परिषद, एन.बी.सी.सी. केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या- 2, सामुदायिक केंद्र, मां आनंदमणि मार्ग, ओखला चरण-1, नई दिल्ली-110020 अपने पंजीयक सह सचिव के माध्यम से।
6. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अपने सचिव के माध्यम से।

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 193/2025

==========

1. पूजा, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार, निवासी जक्कनपुर, पोस्ट- जीपीओ, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड 800001
2. गौरव कुमार, पिता- प्रेम शंकर पाल निवासी गांव-कुद्रा, पोस्ट- कुद्रा, थाना- कुद्रा, जिला-कैमूर, बिहार, पिन कोड-821108
3. मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता- चंद्रमा सिंह, निवासी गांव- मिश्रीपुर, पोस्ट- सासाराम, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार, पिन कोड-821115
4. जावेद इकबाल, पिता-मोहम्मद इकबाल, निवासी गांव- मघोटा, पोस्ट- नारायणपुर, थाना- बाराहाट, जिला-बांका, बिहार, पिन कोड-813103
5. कौशल किशोर कुमार, पिता- विजय शर्मा, निवासी गांव- सुरखी, पोस्ट- ओबरा, थाना- ओबरा, जिला- औरंगाबाद, बिहार, पिन कोड-824124
6. नितिन पांडे, पिता- अवधेश पांडे, निवासी गांव- परनावा, पोस्ट-गोपालबाद, थाना- सरमर्स, जिला-नालंदा, बिहार, पिन कोड-811104
7. विमल कुमार यादव, पिता- राम विलास यादव, निवासी गांव- सिहौल, पोस्ट- सिहौल, थाना-बिरौल, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847202
8. मोहम्मद इजहरुल हक, पिता- मिनहाजुल हक, निवासी सराय सत्तीर खान, पोस्ट- लहरियासराई, थाना- लहरियासराई, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड-84,6001
9. मनीष कुमार, पिता- स्वर्गीय रमन कुमार भगत, निवासी- सिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट- सिमरी बख्तियारपुर, थाना- सिमरी बख्तियारपुर, जिला- सहरसा, बिहार, पिन कोड- 852127

10. कुमार प्रसून, पिता- कृष्ण मुरारी सिंह, निवासी- पंचगछिया, पोस्ट- पंचगछिया, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा, बिहार, पिन कोड-852124
11. राकेश रंजन, पिता- रामचन्द्र मंडल, निवासी ग्राम- श्रीपुर भीखमचक, पोस्ट- श्रीपुर मजरहिया, थाना- हथौरी, जिला समस्तीपुर, बिहार, पिन कोड-847105
12. सुमरजीत चौधरी, पिता- देवनारायण चौधरी, निवासी ग्राम- बेला, पोस्ट- बराहशेर, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा, बिहार, पिन कोड 852124
13. कुमार आशुतोष, पिता- सुधीर झा, निवासी गांव- भत्राघाट, पोस्ट- भत्राघाट, थाना- बिस्फी, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन कोड-847122
14. सुमन कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय शंकर प्रसाद गुप्ता, निवासी बिक्रमपुर, पोस्ट- काजरा, थाना-काजरा, जिला-लखीसराय, बिहार, पिन कोड-811309
15. राकेश रंजन, पिता- उमा शंकर सिंह, निवासी- इलाहीबाग, पोस्ट- बैरिया, थाना- गोपालपुर, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड-800007
16. राहुल कुमार ज्योति, पिता- उदय शर्मा, निवासी गांव- नीमा, पोस्ट- नदवां, थाना- धनरुआ, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड 804453
17. सरफराज उद्दीन, पिता- मोहम्मद शकील अहमद, निवासी हारून कॉलोनी सेक्टर 1, पोस्ट- फुलवारीशरीफ, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड-801505
18. मो. गुफरान, पिता- मो. मुस्ताक, निवासी ग्राम- पैगम्बरपुर, पोस्ट- दरिमा, थाना- केवटी, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड- 847121

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
3. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
4. पंजीयक सह सचिव, भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली
5. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना
6. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 428/2025

==========

1. मो. फिरोज मंसूरी, पिता- मो. सिराजुद्दीन, निवासी ग्राम- बैजनाथपुर, पोस्ट- बटसर, थाना- धोरैया, जिला- बांका, बिहार
2. राकेश रौशन, पिता- रामेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम- पटेल नगर, पोस्ट- बासुदेवपुर, थाना- कोतवाली, जिला-मुंगेर, बिहार
3. मो. शाहनवाज आलम, पिता- मो. शमीम अहमद, निवासी ग्राम- चकनथु, पोस्ट- चकनथु, थाना-सन्हौला, जिला-भागलपुर, बिहार
4. विश्वजीत कुमार गुंजन, पिता- कृष्ण देव झा, गाँव-जगदीशपुर, पोस्ट- आधारपुर, थाना- करपुरीग्राम, जिला-समस्तीपुर, बिहार, पिनकोड-848130
5. निरंजन कुमार, पिता- प्रेमलाल, निवासी ग्राम- जानकी परिसर काशीपुर, पोस्ट- समस्तीपुर, थाना-समस्तीपुर शहर, जिला-समस्तीपुर, बिहार
6. देश दीपक तिवारी, पिता- मुक्तेश्वर तिवारी, निवासी ग्राम-आशा परारी, पोस्ट- आशा परारी, थाना- सिमरी, जिला-बक्सर, बिहार
7. अग्निवेश कुमार सिंह, पिता- वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी- प्रोफेसर कॉलोनी बुढानपुरवा, पोस्ट- बक्सूर, थाना- मॉडल थाना, जिला-बक्सर, बिहार
8. मो. मनाजिर अहसन, पिता- मो. अकबर अली, निवासी ग्राम- पुरैनी, पोस्ट-पुरैनी, थाना- जगदीशपुर, जिला-भागलपुर, बिहार
9. देश रत्न, पिता- राजेंद्र प्रसाद, निवासी ग्राम- धनहर, पोस्ट- एकंगरसराय, थाना- एकंगरसराय, जिला नालन्दा, बिहार
10. रामानंद शर्मा, पिता- श्याम नंदन शर्मा, निवासी ग्राम- सहबाजपुर महनैया, पोस्ट- कमराव, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर, बिहार
11. कुमार रोहन, पिता- रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम- बुद्धा कॉलोनी अदलबाड़ी, पोस्ट- अंजानपीर, थाना- हाजीपुर टाउन, जिला- विशाली, बिहार
12. मुज्तबा हसन, पिता- मुर्तजा हसन, निवासी ग्राम- थर्मा, थाना गायघाट, पोस्ट- थर्मा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
13. निखिल गौरव, पिता- कमलेश्वरी प्रसाद यादव, निवासी ग्राम- माहे कटैया, पोस्ट- माहे कटैया, थाना- पिपरा, जिला-सुपौल, बिहार
14. जीशान अली, पिता- मो. मंसूर आलम, निवासी ग्राम- गेवाल बिगहा, कोइली पोखर, पोस्ट- रामपुर, थाना- रामपुर, जिला- गया, बिहार

15. अमित रंजन, पिता- हरिनंदन साह, निवासी गाँव- माधोपुर दिघारुआ, पोस्ट- माधोपुर दिघारुआ, थाना- ताजपुर, जिला-समस्तीपुर, बिहार
16. वकार अहमद, पिता- अब्दुल हई, निवासी ग्राम शिकारपुर, पोस्ट- माहीनगर, थाना- बलियाबेलोन, जिला-कटिहार, बिहार
17. मनीष कुमार, पिता- मदन प्रसाद, निवासी काली बाग जोड़ा इनार वार्ड नंबर 03, पोस्ट+थाना- बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार
18. रवि रंजन, पिता- बीरेंद्र पांडे, निवासी- हाउस नंबर 09, रोड नंबर 10, इंद्रपुरी, पोस्ट- केशरीनगर, थाना- पाटलिपुत्र, जिला-पटना, बिहार
19. हर्ष सहाय, पिता- दिलीप कुमार सिन्हा, निवासी- अघोरिया बाजार, गिरधारी कोल्ड स्टोरेज के पीछे, पोस्ट- रमना, थाना- काजीमोहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
20. इरशाद आलम, पिता- मो. इदरीश, निवासी ग्राम- रामनगर, पोस्ट- रामनगर धुंसी, थाना- मनीगाछी, जिला-दरभंगा, बिहार, पिनकोड-847233
21. प्रमोद कुमार, पिता- नरेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम- भगवानपुर, पोस्ट- अषाढ़ी, थाना- मुफस्सिल, जिला-नवादा, बिहार
22. खुशबू राजा, पिता- दुर्गा प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम- उदयपुर, पोस्ट- जगाई, थाना- एकंगरसराय, जिला-नालंदा, बिहार
23. शशि भूषण, पिता- स्वर्गीय महेश प्रसाद सिंह, निवासी ठाकुरवाड़ी रोड, पोस्ट+थाना- जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, बिहार
24. अजीत कुमार, पिता- कृष्णदेव ठाकुर, निवासी ग्राम- कर्पूरीनगर, पोस्ट- फतेहपुर, थाना- इंडस्ट्रियल जीरो माइल, जिला-भागलपुर, बिहार
25. मिथलेश कुमार, पिता- शिव जी राय, निवासी ग्राम- रसूलपुर कला, पोस्ट- रसूलपुर कला, थाना-दरभंगा, जिला-दरभंगा, बिहार
26. अजय कुमार, पिता- जय देव सिंह, निवासी ग्राम-नगवां, पोस्ट- नगवां, थाना- सिमरी, पिनकोड- 802133, बक्सर
27. पंकज श्रीवास्तव, पिता- उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, निवासी विनोद कुंज, फ्लैट नंबर 304. पोस्ट- भागवत नगर, थाना- भागवत नगर, जिला-पटना, बिहार, पिनकोड-800026
28. कमलेश कुमार प्रजापति, पुत्र अमीर चंद प्रजापति, निवासी ग्राम- सारंगपुर, पोस्ट- बड़का डुमरा, थाना- आरा मुफ्फसिल, जिला-भोजपुर, पिनकोड-802312
29. प्रेयस कुमार सिंह, पिता- बलदेव सिंह, निवासी ग्राम करारी, पोस्ट- धोबहां बाजार, थाना- धोबहां, जिला-भोजपुर, पिनकोड-802156

30. मनीष कुमार शुधांशु, पिता- श्री अवधेश प्रसाद, निवासी ग्राम- मोहसिमपुर, पोस्ट- पंहेशा, थाना- शकेहोपुरसराय, जिला-शेखपुरा, पिन कोड -811103
31. कुमुद रंजन, पिता- इंद्रदेव सिंह, निवासी ग्राम-अमदुजा, पोस्ट- अमदुजा, थाना- फुलपरास, जिला-मधुबनी, पिनकोड-847402, बिहार
32. मो. रहमते आलम, पिता- मो. अजीजुर्रहमान, निवासी ग्राम- सदर टोला, पोस्ट- मरघिया, थाना- मरघिया, जिला-कटिहार, पिनकोड-854104, बिहार
33. मुकेश कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय नंदकिशोर सिंह, निवासी ग्राम- मोहनपुर, पोस्ट- धरहरा, थाना-धरहरा, जिला-मुंगेर, पिनकोड 811212, बिहार
34. मो. रिज़वान अनवर, पिता- मो. महबूब आलम, निवासी ग्राम-बैरागपुर, पोस्ट-सोंथा, थाना-कोचाधामन, जिला-किशनगंज, बिहार
35. धनंजय कुमार सुधांशु, पिता- जय प्रकाश यादव, निवासी ग्राम- धपोडांगी, पोस्ट- पथरिया, थाना-गलगलिया, जिला-किशनगंज, बिहार
36. मो. इश्तियाक हुसैन, पिता- शफायत हुसैन, निवासी ग्राम-हल्दीखोरा, पोस्ट-हल्दीखोरा, थाना- कोचाधामन, जिला- किशनगंज, बिहार।
37. अभिषेक कुमार सिंह उर्फ अभिषेक कुमार, पिता- स्वर्गीय राज किशोर सिंह, निवासी ग्राम- भावल, पोस्ट- भावल, थाना- रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार।
38. चंदन कुमार, पिता- सत्यनारायण प्रसाद, निवासी ग्राम- लौकही, पोस्ट- लौकही, थाना- लौकही, जिला-मधुबनी, बिहार।
39. अजय कुमार पंडित उर्फ अजय कुमार, पिता- तृप्ति नारायण पंडित, निवासी ग्राम- बइका, वार्ड संख्या 05, पोस्ट- विष्णुपुर, थाना- फुलपरास जिला-मधुबनी, बिहार
40. संयोग कुमार, पिता- गंगा राम पासवान, निवासी ग्राम- चौरी, पोस्ट- बिरसयार, थाना- सकरी, जिला-मधुबनी, बिहार
41. मो. इनामुल हक, पिता- मो. इदरीस, निवासी ग्राम- गोरगामा, पोस्ट- फुलपरास, थाना- फुलपरास, जिला-मधुबनी, बिहार
42. अजय कुमार, पिता- सुरेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम- कंजास, पोस्ट- तेल्हारा, थाना- तेल्हारा, जिला- नालंदा, पिन कोड-801306
43. अभिनीत अमर, पिता- जयलाल साहू, निवासी ग्राम-पथराही, पोस्ट-पथराही, थाना- लदनिया, जिला-मधुबनी, बिहार
44. सुभाष कुमार सिंह उर्फ सुभाष कुमार, पिता- किशोर सिंह, निवासी ग्राम- महना कुली, पोस्ट- चनपटिया, थाना- चनपटिया, जिला- पश्चिमी चंपारण, बिहार

45. सोनू कुमार वर्मा उर्फ सोनू कुमार, पिता- स्वर्गीय आदया राम, निवासी पिउनी बाग बसवरिया, वार्ड नंबर 22, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया, जिला- पश्चिमी चंपारण, बिहार
46. धीरज कुमार, पिता- कपिलदेव प्रसाद, निवासी ग्राम-पर्वतिया टोला, पोस्ट-बेलबाग, थाना-मुफस्सिल थाना बेतिया, जिला-पश्चिमी चंपारण, बिहार
47. मोहम्मद जफर इकबाल, पिता- मोहम्मद अंसार, निवासी ग्राम जाले, पोस्ट-जाले, थाना-जाले, जिला दरभंगा, बिहार
48. शकील अनवर, पिता- अब्दुल खालिक, निवासी ग्राम- लखौरा, बिचला टोला, वार्ड नं.7, पोस्ट-लखौरा, थाना-लखौरा, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार।
49. राजीव रौशन, पिता- बैकुंठ प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम- सीतारामपुर, पोस्ट-सुल्तानगंज, थाना-सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार, पिनकोड-813213
50. रमेश कुमार, पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव, निवासी ग्राम- क्योतापट्टी, पोस्ट- अभुआर, थाना- किशनपुर, जिला-सुपौल, बिहार
51. रंजीत कुमार रमण, पिता- सदानंद प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-बैरो टोला झखराही, पोस्ट-कटैया, थाना- सुपौल जिला, जिला-सुपौल, बिहार
52. रजनीश कुमार चौधरी उर्फ रजनीश कुमार, पिता- भिखारी चौधरी, निवासी ग्राम-भुगरूआ, पोस्ट-जगौली, थाना-जगौली, जिला-पूर्णिया, पिनकोड-854304
53. कुमार पुष्कर आनंद, पिता- पंकज कुमार सिंह, निवासी ग्रामबहादुरा, पोस्ट-भदौरा, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया, पिनकोड-854204
54. शंकर कुमार, पिता- इंद्रदेव यादव, निवासी 122, सोनडीहा, पोस्ट-चुटिया, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका, बिहार
55. बरुण कुमार, पिता- छट्ठू प्रसाद, निवासी ग्राम सोनवर्षा, पोस्ट-अराजतुर, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा, बिहार, पिनकोड-853204
56. आतिफ़ रेयाज़ी पिता- जाहिद हसन निवासी ग्राम- खुटौना, पो.-खुटौना, थाना-खुटौना, जिला-मधुबनी, बिहार, पिनकोड- 847227
57. अश्वनी कुमार आज़ाद, पिता- देवेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी ग्राम कठौटिया, पोस्ट-कठौतिया, थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा, बिहार, पिनकोड-852101
58. विकास आनंद, पिता- चंदेश्वरी प्रसाद यादव, निवासी ग्राम परिहारपुर, पोस्ट-खजुरी, थाना-सोरबाजार, जिला-सहरसा, पिनकोड-852221
59. संतोष कुमार, पिता- रामानंद गुप्ता, निवासी ग्राम- बेलांव, पोस्ट-खरेंदा, जिला-कैमूर, भभुआ

60. अनागत, पिता- गुलजार राम, निवासी-भगवानपुर, पोस्ट-भगवानपुर, थाना सदर, जिला-मुजफ्फरपुर

61. रमण, कुमार पिता- कृष्णकांत झा, निवासी- रिफ्यूजी कॉलोनी, लक्ष्मीनाथ नगर, वार्ड नंबर 06, जिला-सहरसा

62. सुमित कुमार सुमन, पिता-जनार्दन प्रसाद मेहता, निवासी दमगरा, पोस्ट- दमगरा, थाना- दमगाड़ी, जिला-पूर्णिया

63. अजय कुमार रंजन, पिता- महेंद्र प्रसाद गुप्ता, निवासी- वार्ड नंबर 12, मधैली बाजार, जिरवा, थाना- शंकरपुर, जिला- मधेपुरा

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. भारत संघ, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
4. द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 02, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज I, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, भारतीय फार्मेसी परिषद, एनबीसीसी केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 02, सामुदायिक केंद्र, ओखला चरण 1, नई दिल्ली।
6. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव, पटना के माध्यम से

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4980/2025

==========

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया I-300, तीसरी मंजिल, टॉवर- I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर, नई दिल्ली अपने रजिस्ट्रार-सह-सचिव के माध्यम से।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अपने प्रभारी सचिव के माध्यम से, 19 हार्डिंग रोड, पटना

.....उत्तरदातागण

==========

के साथ

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4987/2025

==========

1. मो. शहाबुद्दीन अंसारी, पिता-स्वर्गीय मो. जिलानी अंसारी ग्राम-मधेपुर, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी, पिनकोड-847408
2. नीरज कुमार, पिता-विनोद कुमार, ग्राम-कुंडल, पोस्ट-महिन्दवाड़ा, थाना- महिन्दवारा, जिला-सीतामढ़ी, राज्य-बिहार, पिनकोड-843117
3. धनंजय कुमार तिवारी, पिता-श्रीकांत तिवारी, ग्राम-जनेरवा, पोस्ट-अरेराज, थाना-गोविंदगंज, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार
4. मोहम्मद शमीम, पिता-मोहम्मद खलीलुल्लाह, ग्राम-करसहिया, पोस्ट-करसहिया, थाना- ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार पिनकोड-845418
5. मोहम्मद फारूक अशरफ, पिता-मोहम्मद अमीर अशरफ, ग्राम-एजोरबारा, पोस्ट-एजोरबारा, थाना-फेनहारा, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार पिनकोड-845430
6. अमरेश कुमार, पिता-राजकुमार साह, ग्राम-परसौनी कपूर, थाना-पताही जिला पूर्वी चंपारण राज्य-बिहार पिनकोड-845457
7. मोहम्मद अताउर रहमान, पिता-अनवर आलम अंसारी, ग्राम-मीरपुर, थाना-चिरैया, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार पिन कोड-845415
8. मोहन कुमार, पिता-शिव चंद्र प्रसाद, गांव-घोड़ासहन, पोस्ट-घोड़ासहन, थाना-घोड़ासहन, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिन कोड 845303
9. मोहम्मद शमीम अख्तर, पिता- अबुल क़ैश, ग्राम-झिटकहिया, पोस्ट-झिटकहिया, थाना-लखौरा, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड- 845431
10. मार्कंडेय कुमार सिंह, पिता- फणींद्र नाथ सिंह, निवासी वार्ड नंबर 24, न्यू चांदमारी, थाना-मोतिहारी सदर, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य बिहार पिनकोड-845401

11. अंजू कुमारी, पिता- अजय प्रसाद, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-मीरपुर, थाना-चिरैया, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845415
12. तारिक अनवर, पिता- मंज़ुरुल हक, ग्राम-पुरुषोत्तम पुर, थाना-चौरादानो, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845302
13. मोहम्मद क़मर इक़बाल, पिता- मोहम्मद महफ़ुज़ुर रहमान, ग्राम-गणेशपुर, पोस्ट-गणेशपुर, थाना-मरौना, जिला-सुपौल, राज्य-बिहार, पिन कोड-852133
14. शकील अनवर, पिता- अब्दुल खालिक, ग्राम-लखौरा, बिचला टोला, पोस्ट-लखौरा बिचला टोला, थाना-लखौरा, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845302
15. मोहम्मद नेयाज़ अहमद, पिता- सेराज अहमद, ग्राम-भेरीहेरवा, थाना-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845433
16. तनवीर खान, पिता- सदरुद्दीन खान, ग्राम-मझरिया, थाना-अदापुर, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845433
17. अमित कुमार सिंह, पिता- हरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम-मधुबन टोला मोहनवा, पोस्ट-गुलवारा मधुबन, थाना-मधुबन, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845420
18. मोहम्मद आसिफ अनवर, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद सईम खान उर्दू बाजार, जब्बारचक लेन, तातारपुर, जिला-भागलपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-812002
19. तौकीर नईम, पिता- स्वर्गीय नईम उद्दीन, ग्राम-बटुरबारी, पोस्ट-बटुरबाड़ी, थाना-ताराबारी, जिला-अररिया, राज्य-बिहार, पिनकोड-854311
20. मनमोहन कुमार, पिता- श्याम बिहारी तिवारी, ग्राम-छपरा बहास, पोस्ट-छपरा बहास, थाना-सुगौली, जिला-पूर्वी चंपारण, राज्य-बिहार, पिनकोड-845435
21. फैयाजुद्दीन अहमद, पिता- सलाहुद्दीन अहमद, ग्राम-जंगलिया, पोस्टगोपालगंज, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज, राज्य-बिहार, पिनकोड-841428
22. विजय शंकर प्रसाद, पिता- स्वर्गीय शिव प्रसाद, ग्राम-गंगौर, पोस्टगंगौर, थाना-हरलाखी, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिनकोड-847308
23. राकेश कुमार यादव, पिता- योगी यादव, ग्राम-उसराही, पोस्ट-उसराही, थाना-देवधा, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिनकोड-847226
24. मोहम्मद महफूज आलम, पिता- मोहम्मद सामी उद्दीन बदलूचक, जगदीशपुर, जिला-भागलपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-813105
25. विजया लक्ष्मी, पति तपोमय कुमार देव, 88, आनंद बाग, करपी, थाना- करपी, जिला-अरवल, राज्य-बिहार, पिनकोड-804419

26. तपोमय कुमार देव, पिता- इंदु भूषण कुमार, ग्राम- आनंद बाग, पोस्ट- करपी, थाना-करपी, जिला-अरवल, राज्य-बिहार, पिनकोड-804419
27. कमलेश कुमार, पिता- भोगेंद्र गोहीवार, गांव-ऊसराही, थाना-देवधा, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिनकोड-847226
28. रवि प्रकाश, पिता- चंद्र भूषण प्रसाद, ग्राम- लक्ष्मीपुर, मधेपुर, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिनकोड-847408
29. मो आदिल हुसैन ताहिर, पिता- स्वर्गीय मोजिबुर रहमान, ग्राम-दत्ता ग्वाल टोली, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार, राज्य-बिहार, पिनकोड-855102
30. अभिषेक कुमार, पिता- ब्रिजेश कुमार सिंह, एट-क्लब रोड आरा, थाना नवादा जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-802301
31. मनोज कुमार सिंह, पिता- कामेश्वर सिंह, ग्राम-, देव, थाना-देव, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-802209
32. योगेश कुमार, पिता- राम बिनय यादव, ग्राम-नेहालपुर, थाना-मब्बी ओपी, जिला-दरभंगा राज्य-बिहार, पिनकोड-846005
33. मो. इकबाल, पिता- मो. गफूर साह, ग्राम-मिल्की अनाईठ, थाना-नवादा, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-802302
34. मनीष कुमार, पिता- सुरेश प्रसाद शर्मा, शिवजी कॉलोनी वार्ड नंबर-8, थाना-के हाट, जिला-पूर्णिया, राज्य-बिहार, पिनकोड-844301
35. नितिन सागर, पिता- राम सागर प्रसाद, ग्राम-मझौलिया, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-843104
36. मोहम्मद हामिद, पिता- मोहम्मद खुर्शीद आलम, ग्राम-घोरदौर, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा, राज्य-बिहार, पिनकोड-852127

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. भारत संघ, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
4. द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 02, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज ।, नई दिल्ली।

5. पंजीयक, भारतीय फार्मेसी परिषद, एन. बी. सी. सी. केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 02, सामुदायिक केंद्र, ओखला चरण I, नई दिल्ली।

6. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव, पटना के माध्यम से।

.....उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 313/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
श्री अमीश कुमार ए.सी. टू ए.जी.
श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
सुश्री सुप्रज्ञा, ए.सी. टू जीपी-7

यूओआई की ओर से : सुश्री श्वेता वर्मा, अधिवक्ता
श्री समीर सावन, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता
श्री पी.के. झा, अधिवक्ता
श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी, अधिवक्ता
श्री उत्सव, अधिवक्ता

बीटीएससी के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता

पी.सी.आई. के लिए : श्री जीतेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 72/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज रमन, अधिवक्ता
श्रीमती रुचि मंडल, अधिवक्ता
श्री अनिकेत राय, अधिवक्ता
श्री कुणाल कुमार, अधिवक्ता

यूओआई की ओर से	:	श्री अर्जुन कुमार, सीजीसी
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
		श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
		श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता
		श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
		सुश्री सुप्रज्ञा, एसी टू जीपी-7
पीसीआई की ओर से	:	श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता
बीटीएससी की ओर से	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता
		श्री पी.के. झा, अधिवक्ता
		श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
		श्री प्रफुल्ल रंजन तिवारी, अधिवक्ता
		श्री राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता
		श्री उत्सव, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 193/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता
		श्री रौशन, अधिवक्ता
		श्री शुभम प्रियदर्शी, अधिवक्ता
		सुश्री श्रेयशी राज, अधिवक्ता
यूओआई के लिए	:	श्री बिंध्याचल राय, अधिवक्ता
बीटीएससी के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
		श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
		श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता
		श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
		सुश्री सुप्रज्ञा, एसी टू जीपी-7
पी.सी.आई. के लिए	:	श्री जीतेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता श्री पी.के. झा, अधिवक्ता श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी, अधिवक्ता श्री राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता श्री उत्सव, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 428/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री वाई.वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता
बीटीएससी की ओर से	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता श्री विकास कुमार, अधिवक्ता श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7 सुश्री सुप्रज्ञा, एसी से जीपी-7
पी.सी.आई. की ओर से	:	श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. झा, अधिवक्ता श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल रंजन तिवारी, अधिवक्ता श्री राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता श्री उत्सव, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4980/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता
श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
सुश्री सुप्रज्ञा, एसी से जीपी-7

बीटीएससी की ओर से : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता
श्री पी.के. झा, अधिवक्ता
श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी, अधिवक्ता
श्री उत्सव, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4987/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहम्मद मुमताज उद्दीन, अधिवक्ता

पी.सी.आई. के लिए : श्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्रीमती पारुल प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता
श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
सुश्री सुप्रज्ञा, एसी टू जीपी-7

बीटीएससी के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
श्री अक्षांश शंकर, अधिवक्ता

यूओआई के लिए : श्री राणा विक्रम सिंह, उप। एसजीआई
डॉ. इति सुमन, सीजीसी

प्रतिवादी की ओर से : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संतोष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता
श्री पी.के. झा, अधिवक्ता
श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी, अधिवक्ता
श्री उत्सव, अधिवक्ता

==========

समक्षः माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी
सी.ए.वी. निर्णय
(प्रतिः माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः 10.04.2025

सभी रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 313/2025; 72/2025; 193/2025; 428/2025; 4980/2025; और 4987 2025 में, याचिकाकर्ताओं ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियम, 2014 (संशोधित) *(जिसे आगे "आक्षेपित नियम 2014" कहा जाएगा)* के नियम 6(1) की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि फार्मासिस्ट के मूल श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट/10+2 (विज्ञान) होगी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से फार्मेसी में डिप्लोमा के सभी भागों (भाग-I, II और III) में उत्तीर्ण होना चाहिए और इस आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, क्योंकि यह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (जिसे आगे "पीसीआई" कहा जाएगा) द्वारा फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 (जिसे आगे "विनियम 2015" कहा जाएगा) का उल्लंघन और प्रतिकूल है। अधिनियम, 1948, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि फार्मासिस्ट के पेशे के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा और फार्मेसी में स्नातक की डिग्री की बुनियादी योग्यता आवश्यक होगी।

3. 2014 के विवादित नियमों के नियम 6 (1) पर भी सवाल उठाया गया है कि यह मनमाना और तर्कहीन है।

4. इन याचिकाओं में अनुरोध बिहार फार्मासिस्ट कैडर (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 4 में परिशिष्ट-I में दिए गए नोट की घोषणा के लिए भी है, जिसमें कहा

गया है कि बी.फार्मा और एम.फार्मा प्रमाणपत्र धारक भी फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा की योग्यता हो।

5. वैकल्पिक रूप से, संशोधित 2014 के नियम 6(1) को पढ़ने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसका अर्थ है और इसमें यह शामिल है कि डिग्री योग्यता (बी.फार्मा और एम.फार्मा) रखने वाले उम्मीदवार फार्मासिस्ट के पद के लिए पात्र होंगे।

6. पीसीआई की ओर से प्रस्तुत सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 4980/2025 में भी यही प्रार्थना की गई है, लेकिन साथ ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 22/2025, दिनांक 10.03.2025 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके तहत केवल ऐसे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे, जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा हो और बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्री धारक केवल तभी पात्र होंगे, जब उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा की बुनियादी योग्यता हो।

7. यह प्रार्थना इस आधार पर की गई है कि पीसीआई, जो भारत में फार्मेसी पेशे के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है, के पास फार्मासिस्ट कैडर से संबंधित मामलों सहित फार्मेसी अभ्यास से संबंधित योग्यता, योग्यता मानकों, पेशेवर आचरण और अन्य सभी मामलों को विनियमित करने का विशेष अधिकार है और कोई भी राज्य या स्थानीय निकाय फार्मेसी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए विनियमों, विशेष रूप से 2015 के विनियमों के प्रावधानों के विपरीत नियम नहीं बना सकता है।

8. इन सभी याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह है: (क) क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया नियम अर्थात 2014 के विवादित नियम फार्मासिस्ट के लिए बुनियादी/आवश्यक योग्यता केवल फार्मेसी में डिप्लोमा निर्धारित कर सकते हैं, जबकि फार्मेसी अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात फार्मेसी प्रैक्टिस नियम 2015 के तहत फार्मेसी के पेशे के लिए बुनियादी योग्यता फार्मेसी में

डिप्लोमा/स्नातक डिग्री है; (ख) क्या विचाराधीन नियम केंद्र सरकार के कब्जे वाले क्षेत्र पर लागू होते हैं; (ग) क्या बी. फार्मा/एम. फार्मा डी. फार्मा से उच्च योग्यता है और; (घ) क्या बी. फार्मा/एम. फार्मा सीखने के एक ही चैनल में हैं, जो फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम/निम्न योग्यता को अपने में समाहित कर लेते हैं।

9. ये मुद्दे, किसी भी तरह से, नए नहीं हैं और विभिन्न संदर्भों में कई मामलों में न्यायिक ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

10. इन मूल मुद्दों पर आने से पहले, कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों पर गौर करना आवश्यक होगा।

11. सभी रिट याचिकाकर्ता बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री धारक हैं और बिहार राज्य फार्मेसी पंजीकरण परिषद के साथ भी पंजीकृत हैं।

12. बिहार सरकार ने 10.10.2014 को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम 2014 को अधिसूचित किया। 2014 के विवादित नियम के नियम 6(1) में प्रावधान है कि फार्मासिस्ट के पद के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट/10+2 (विज्ञान) उत्तीर्ण होगी। हालांकि नियमों के परिशिष्ट-I में एक "नोट" दिया गया है कि बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं।

13. इसके तुरंत बाद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, 2015 भी तैयार किया, जिसे 15.01.2015 को राजपत्रित किया गया। ये विनियम फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 10 और 18 के तहत तैयार किए गए थे। ऊपर उल्लिखित 2015 के विनियम के परिशिष्ट-III में फार्मासिस्टों की स्थिति, पद और नौकरी की जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। 2015 के विनियम के अनुसार, बुनियादी योग्यता फार्मेसी में डिप्लोमा/फार्मेसी में स्नातक है।

14. विनियम 2015 के राजपत्रित होने के पश्चात बिहार सरकार ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा

संशोधन किया, जिसे 03.11.2017 को अधिसूचित किया गया। इन संशोधित नियमों में प्रोन्नति पदों की श्रृंखला का प्रावधान किया गया, जिससे इसे विनियम 2015 के अनुरूप बनाया गया।

15. हालांकि, फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम/सीमा/आवश्यक योग्यता के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया। इसी तरह, 2014 के असंशोधित विवादित नियमों की तरह, परिशिष्ट में दिया गया "नोट" वही रहा, यानी कि बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं।

16. 2014 के विवादित नियमों में वर्ष 2019 में फिर से बदलाव किया गया, जिसके तहत फार्मासिस्टों के लिए चयन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए नियम 7 में संशोधन किया गया, जिसमें दिए गए अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जानी थी।

17. कुछ रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष नियमों की वैधता को चुनौती दी थी, जब राज्य की सेवा में फार्मासिस्ट के रूप में व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति के लिए दिनांक 05.04.2023 की अधिसूचना जारी की गई थी।

18. इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाओं में दिनांक 17.05.2023 को पारित आदेश के तहत, मुख्य मामला सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7437/2023 है, यह देखा कि फार्मेसी में डिप्लोमा की समान न्यूनतम/मूल योग्यता के साथ पहले की अधिसूचना, संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के कारण, एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर को भी आवेदन करने की अनुमति मांगी गई, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपीलों के एक बैच में, मुख्य मामला एल.पी.ए. 2020 के क्रमांक 158 ने दिनांक 10.01.2023 के निर्णय के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया था और माना था कि केवल उच्च योग्यता प्राप्त करने और फार्मेसी में डिप्लोमा की बुनियादी योग्यता के बिना फार्मेसी में

स्नातक और स्नातकोत्तर फार्मासिस्ट के पद पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए कारणों में कहा गया था कि फार्मेसी और बी. फार्मा/एम. फार्मा में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग हैं। डिप्लोमा धारक आमतौर पर विभिन्न स्वास्थ्य विभागों में काम करते हैं, जबकि फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र में लगे होते हैं जहां दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण होता है। उनके पास स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स विंग में इंस्पेक्टर या उस लाइन में उच्च पदोन्नति वाले पदों के रूप में रोजगार का एक रास्ता भी है।

19. ऐसा कहते हुए, खंडपीठ ने ***नायर सर्विस सोसायटी बनाम डॉ. टी. बीरमास्थान एवं अन्य*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया: ***(2009) 5 एससीसी 545***। उपर्युक्त मामले में, यह माना गया कि विधायिका की बुद्धि या अन्यथा पर निर्णय लेना न्यायालयों का काम नहीं है। न्यायालयों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से अवैधता न हो।

20. उपरोक्त खंडपीठ के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति अपील दायर की गई थी, जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। तत्पश्चात, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार ने 2019 की अधिसूचना में निर्धारित योग्यताओं पर दिनांक 05.04.2023 को एक नई अधिसूचना जारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालय को 2014 के विवादित नियमों के आधार पर दिनांक 05.04.2023 की अधिसूचना में लगाए गए पात्रता मानदंडों की सत्यता या अन्यथा पर विचार करना आवश्यक होगा।

21. उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार के अभाव में भी बी.फार्मा या एम.फार्मा की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए।

22. इस तरह के विवाद पर कोई राय नहीं व्यक्त करते हुए, मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया था।

23. अंतरिम उपाय के रूप में, इस न्यायालय ने दिनांक 17.05.2023 के आदेश के तहत बी. फार्मा/एम. फार्मा की उच्च डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को भी दिनांक 05.04.2023 की ऐसी अधिसूचना/विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन करने की अनुमति दी थी।

24. रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय ने 05.10.2023 को फार्मेसी अधिनियम, 1948, फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 और बी. फार्मा कोर्स विनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान दिया। यह भी इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि एक राजनयिक को बी. फार्मा में स्नातक पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में पार्श्व प्रवेश मिलता है, यह सुझाव देते हुए कि बी. फार्मा उसी विषय में उच्च योग्यता है, जो धारक को सरकार के साथ फार्मासिस्ट के रूप में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रारंभ में, न्यायालय का विचार था कि कैडर नियमों में जो निर्दिष्ट किया गया है वह न्यूनतम आवश्यक योग्यता है और इसलिए, उसी सीखने की रेखा में उच्च डिग्री वाले व्यक्तियों को फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देने का कोई औचित्य नहीं होगा।

25. चूंकि एल.पी.ए. संख्या 158/2020 में डिवीजन बेंच के फैसले में तर्क की असंगति थी, इसलिए इस मुद्दे को विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया।

26. तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष, जिसमें से हम में से एक (आशुतोष कुमार, जे.) भी शामिल थे, यह प्रस्तुत किया गया कि भर्ती अधिसूचना वापस ले ली जाएगी क्योंकि कैडर नियमों में संभवतः संशोधन किया जाना था। इस प्रकार, बड़ी पीठ ने पाया कि रिट याचिकाएँ निष्फल हो गई थीं और इसलिए सभी रिट याचिकाएँ बंद कर दी गईं। हालाँकि, 06.11.2023 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि कैडर नियमों में संशोधन नहीं किया गया और भर्ती उसी तर्ज पर शुरू की गई, तो रिट याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं की बहाली की माँग करने के हकदार होंगे, लेकिन केवल इस स्थिति में कि

मौजूदा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जिससे स्नातकों को उक्त पद के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है।

27. हालांकि नियमों में संशोधन किया गया था, 2014 के मूल गैर-संशोधित नियमों के 6 (1) में निहित प्रावधान को अप्रभावित छोड़ दिया गया था, लेकिन नियम 4 के परिशिष्ट में "नोट" को इस हद तक संशोधित किया गया था कि बी. फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारक भी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, अगर उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा की योग्यता भी है।

28. इसलिए, कुछ रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्थिति वैसी ही बनी हुई है और इसलिए, इस तरह की योग्यता की वैधता का परीक्षण करने के उद्देश्य से पहले से गठित बड़ी पीठ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए; रिट याचिकाओं को बहाल किया जाना चाहिए और इस मुद्दे की सुनवाई बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। तर्क यह था कि जब बाद में डिवीजन बेंच ने खुद को पहले के डिवीजन बेंच के फैसले के तर्क के साथ सहमत नहीं पाया, तो मामले को मजबूरन बड़ी बेंच को संदर्भित करने की आवश्यकता थी।

29. हालांकि, विद्वान महाधिवक्ता और हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी, अर्थात रिट याचिकाकर्ताओं का विरोध करने वाले डिप्लोमा धारकों ने प्रस्तुत किया है कि नियमों में संशोधन के साथ, भले ही योग्यता प्रावधान अपरिवर्तित रहे, नई रिट याचिकाएं केवल एक खंडपीठ द्वारा दायर और सुनवाई की जानी आवश्यक है। उन्होंने यह व्यक्त किया कि उन्हें एक बड़ी पीठ के गठन पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

30. हालाँकि, दिनांक 06.11.2023 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिट याचिकाएँ केवल तभी पुनर्जीवित की जाएँगी जब मौजूदा नियमों में कोई संशोधन न हो, इसलिए इसे फिर से बड़ी बेंच को रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मामले की नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता है।

31. स्नातक डिग्री धारकों/रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जब संवर्ग नियम स्वयं यह प्रदान करते हैं कि बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्री धारक फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो नियम बनाने वाले निकाय का इरादा स्पष्ट हो जाता है कि वह फार्मेसी में स्नातकों को उच्च योग्यता वाले धारक मानता है, जो फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त होने के हकदार होंगे क्योंकि यह 2015 के विनियमों के अनुसार होगा, जो फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में फार्मेसी में डिप्लोमा और फार्मेसी में स्नातक की योग्यता प्रदान करता है।

32. रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के संज्ञान में दिनांक 16.07.2019 का एक राजपत्र अधिसूचना लाया है, जिसके तहत भारत सरकार ने पीसीआई की सिफारिश पर यह निर्णय लिया था कि फार्मेसी में डॉक्टर (फार्मा डी.) की योग्यता रखने वाला व्यक्ति विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जिस पर बी. फार्मा और एम. फार्मा धारक नियुक्त होने के पात्र होंगे। जाहिर है, ऐसा निर्णय इस तथ्य पर विचार करने के बाद लिया गया था कि फार्मा डी. बी. फार्मा और एम. फार्मा से उच्च योग्यता है। यह भी तर्क दिया गया कि बिहार सरकार ने अपने कई विभागों में फार्मेसी में स्नातकों को भी फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

33. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2022 के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन, 2015 के कार्यान्वयन के संबंध मेंस्पष्टीकरण जारी किया है। दिनांक 07.10.2022 के पूर्वोक्त स्पष्टीकरण को उद्धृत करना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है:

फाइल संख्या जेड-28020/80/2020-एएचएस

अपील

एफ. संख्या जेड-28020/80/2020-एएचएस

भारत सरकार भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(एएचएस अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक: 07/10/2022

सेवा में,

निबंधक -सह-सचिव,
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2. सामुदायिक केंद्र।
माँ आनंदमई मार्ग, ओखला फेज -1
नई दिल्ली-110020

विषय: सरकार राज्य पर पीसीआई का विनियमन के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण

संदर्भ: पीसीआई का दिनांक 02.09.2022 का ईमेल ।

महोदया,

इस मंत्रालय के दिनांक 23.09.2022 के समसंख्यक पत्र के स्थान पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 11 में कहा गया है कि "अध्याय III के तहत राज्य परिषद के गठन के बाद किसी भी समय और राज्य परिषद के परामर्श के बाद, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि शिक्षा विनियम राज्य में प्रभावी होंगे बशर्ते कि जहां ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, शिक्षा विनियमन राज्य परिषद के गठन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर राज्य में प्रभावी होंगे।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, "यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून, संसद द्वारा पारित कानून के प्रतिकूल है तो राज्य विधानमंडल के कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और संसद का कानून पूर्व के कानून पर प्रभावी होगा"

3. चूंकि पीसी के विनियम समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के लिए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना बाध्यकारी है, तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे पुनः अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

आपका आभार।

अमित बिस्वास द्वारा
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
(तिथि 07/10/2022 14:39:03)

(अमित बिस्वास)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या: 23061120

34. रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए तर्कों की दूसरी पंक्ति यह है कि जब नियम डिप्लोमा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रदान करते हैं, तो इसे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के रूप में परस्पर रूप से नहीं समझा जा सकता है। अभिव्यक्ति "न्यूनतम" को संदर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे एक कट-ऑफ फ़िल्टर के रूप में समझा जाना चाहिए जो सामान्य रूप से, परिशिष्ट- । में नोट में बदलाव के बिना, उच्च योग्य उम्मीदवारों की भर्ती को रोकना नहीं चाहिए।

35. श्री वाई. वी. गिरि, श्री जितेंद्र सिंह, श्री मृगांक मौली और श्री अभिनव श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिन्हा ने आनुपातिकता के आधार पर 2014 के विवादित नियमों के नियम 6(1) की वैधता पर सवाल उठाया है। आनुपातिकता के सिद्धांत के तहत, राज्य की कोई भी कार्रवाई जो कथित रूप से संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार का उल्लंघन करती है, का तीन मानकों पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है, अर्थात्: (क) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए; (ख) एक लोकतांत्रिक समाज में एक वैध उद्देश्य के लिए प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक है और (ग) जिस हद तक इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति है, वह ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में हो।

36. यह तर्क दिया गया कि ***के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1,*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कानून के वैध होने के लिए आनुपातिकता की आवश्यकता के चार उप-घटक तैयार किए हैं और तैयार की गई शर्तें संचयी हैं। उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए: (1) किसी अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए; (2) यह इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए; (3) कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी विकल्प नहीं होना चाहिए और; (4) उपाय का अधिकार धारक पर असंगत प्रभाव नहीं होना चाहिए।

37. यह तर्क दिया गया है कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई वैध राज्य हित है और अपनाए गए उपाय और जिस उद्देश्य को पूरा करने का दावा किया जाता है, उसके बीच कोई तर्कसंगत संबंध है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वैध राज्य हित का उल्लेख किया, तो इसका मतलब यह था कि संवैधानिकता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाया गया उपाय व्यापक सार्वजनिक हित को संरक्षित करने के लिए होना चाहिए, न कि इसमें शामिल पक्षों के किसी निजी हित को। यह वह परीक्षण है जो तर्कसंगत संबंध के परीक्षण को अलग करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समझदार अंतर श्रेणी का परीक्षण करने के लिए नियोजित किया जाता है।

38. न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह देखने की आवश्यकता है कि क्या संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को बाधित करने के लिए अपनाया गया उपाय वास्तव में राज्य के वैध हित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। न्यायालयों से यह देखने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ऐसे कई वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं, जो कम हस्तक्षेपकारी हैं और वैकल्पिक उपाय वास्तविक और पर्याप्त तरीके से राज्य के वैध हित को प्राप्त करते हैं।

39. इसलिए, न्यायालयों को इस मुद्दे को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अर्थात्, अपनाए गए उपायों और उपलब्ध वैकल्पिक उपायों से उन व्यक्तियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके अधिकारों का हनन हुआ है या वैध राज्य हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि बिना किसी आधार के, शिक्षा के उसी क्षेत्र/चैनल में उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने से राज्य के किसी वैध हित की पूर्ति नहीं होती। राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क और वह भी अनुमानात्मक तर्क के माध्यम से यह है कि डिप्लोमा धारक अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रूप में भर्ती के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जबकि फार्मेसी में उच्च डिग्री औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात् दवाओं के

निर्माण आदि में अधिक उपयोगी होगी और डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति के अवसर सीमित हैं और इसलिए उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में केवल डिप्लोमा धारकों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त करने की प्रभावशीलता के बारे में कोई अनुभवजन्य अध्ययन नहीं किया गया है और उनके पास नियुक्ति के कोई अन्य अवसर नहीं हैं। उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को होने वाले असंगत नुकसान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे नियम मनमाना बन गया है। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार के अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के कानून को सीधे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

41. यह तर्क दिया गया कि ***सोदान सिंह एवं अन्य बनाम नई दिल्ली नगर पालिका समिति एवं अन्य: (1989) 4 एससीसी 155*** में, यह माना गया था कि अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटी किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने तक विस्तारित होगी। पेशे का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत और विशेष योग्यता, प्रशिक्षण या कौशल के आधार पर किया जाने वाला व्यवसाय। "व्यवसाय" शब्द का व्यापक अर्थ है, जैसे नियमित कार्य, पेशा, नौकरी, मुख्य गतिविधि, रोजगार, व्यवसाय या कोई व्यवसाय जिसमें कोई व्यक्ति लगा हुआ है।

42. इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि 1948 का फार्मेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, यानी 2015 के नियम, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी. फार्मा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा, फार्मासिस्ट के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए ऐसी डिग्री धारकों की पात्रता और फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियाँ और नैतिक मानक स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं। यदि कोई डिग्री किसी व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए योग्य बनाती है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे सरकारी नौकरियों के लिए किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से बाहर रखा जाए। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहिष्कार स्पष्ट रूप से स्नातक डिग्री धारकों के सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए विचार

किए जाने के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह वास्तव में उनके जीवन के अधिकार को बाधित करता है।

43. जीवन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो केवल पशु अस्तित्व से कहीं अधिक कुछ, यानी व्यक्ति की गरिमा को दर्शाता है। *फील्ड, जे.* ने ***मुन्न बनाम इलियोनोइस: (1994) यू.एस. 113, 154 (1876)*** में माना है कि जीवन शब्द से तात्पर्य केवल पशु अस्तित्व से कहीं अधिक कुछ है। इसके वंचन के विरुद्ध निषेध उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। ***ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन: (1985) 3 एससीसी 545*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि जीवन के अधिकार का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधनों के बिना नहीं रह सकता है।

44. सार्वजनिक रोजगार का अवसर एक राष्ट्रीय संपदा है जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से हिस्सा लेने का अधिकार है। इस प्रकार सार्वजनिक रोजगार का अधिकार और इसके साथ-साथ आजीविका का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 की सुरक्षात्मक छत्रछाया में सुदृढ़ है ***[दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य: (1991) अनुपूरक 1 एससीसी 600*** भी देखें]।

45. तर्क को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया कि ***श्री आर.के. डालमिया बनाम न्यायमूर्ति श्री एस.आर. तेंदोलकर एवं अन्य: एआईआर 1958 एससी 538*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम की वैधता का परीक्षण करने के लिए अपनाए गए और लागू किए गए विभिन्न परीक्षणों को गिनाया, अर्थात, (ए) कि एक कानून संवैधानिक हो सकता है, भले ही वह एक एकल व्यक्ति से संबंधित हो, जिसे वह स्वयं एक वर्ग के रूप में मान सकता है; (बी) कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और उस पर हमला करने वाले पर यह दिखाने का भार होता है

कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है; (सी) यह माना जाना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की ज़रूरतों को समझती है और सही ढंग से समझती है और उसके कानून समस्याओं के लिए निर्देशित हैं, जो अनुभव से प्रकट होते हैं और उसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं; (घ) विधानमंडल नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकता है जहां आवश्यकता सबसे स्पष्ट समझी जाती है; (ङ) संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और कानून बनाने के समय मौजूद हर तरह के तथ्यों की स्थिति को मान सकता है; (च) जबकि विधानमंडल की ओर से मौजूदा स्थितियों के प्रति सद्भाव और ज्ञान को माना जाना चाहिए, अगर कानून या आसपास की परिस्थितियों के आधार पर ऐसा कुछ नहीं है जो न्यायालय के ध्यान में लाया गया हो जिस पर वर्गीकरण को उचित रूप से आधारित माना जा सके।

46. संवैधानिकता की धारणा को हमेशा इस हद तक नहीं माना जा सकता कि कुछ व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्ण या भेदभावपूर्ण कानून के अधीन करने के लिए कुछ अप्रकाशित और अज्ञात कारण होने चाहिए।

47. यह तर्क दिया गया है कि इन सिद्धांतों को न्यायालयों को ध्यान में रखना होगा जब उन्हें किसी विशेष कानून की संवैधानिकता पर निर्णय लेना होगा, जिस पर भेदभावपूर्ण और कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो।

48. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में पूर्वधारणा के बावजूद, वर्तमान मामले में, किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन या फॉर्मूलेशन के अभाव में कि फार्मेसी में डिप्लोमा अस्पताल प्रशासन के लिए बेहतर है और डिप्लोमा धारकों के पास अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद के लिए सार्वजनिक रोजगार के लिए कम उद्घाटन हैं, उच्च डिग्री धारकों को भागीदारी से बाहर करना आवश्यक है। यह तर्क

आज मौजूद तथ्यात्मक परिदृश्य को झुठलाता है और फार्मेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप भी नहीं है, जो डिप्लोमा और बी. फार्मा को डिग्री के रूप में मान्यता देते हैं जो धारकों को फार्मासिस्ट का व्यवसाय/पेशा करने का अधिकार देते हैं। एक फार्मासिस्ट को अस्पतालों में, स्वास्थ्य विभाग की औद्योगिक शाखा में अपना काम करना होगा; औषधि निर्माण उद्योग में औषधि निरीक्षक के रूप में तथा सभी स्थानों और पदों पर जहां फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। केवल इसी कारण से राज्य सरकार ने अपने बीमा क्षेत्र और अन्य विभागों में उच्च डिग्री धारकों के संबंध में ऐसा कोई बहिष्करण नहीं किया है। यह भी कोई विवाद नहीं है कि डिप्लोमा और बी. फार्मा के लिए पाठ्यक्रम मुख्य विषयों के संबंध में समान हैं, जिसे केंद्र सरकार भी मान्यता देती है।

49. किसी भी वर्गीकरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरने के लिए यह आवश्यक है कि वह सुबोध भिन्नताओं पर आधारित हो तथा उसका इच्छित उद्देश्यों से तर्कसंगत संबंध हो। वर्गीकरण कभी भी मनमाना, बनावटी या कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा वास्तविक और सारवान अंतर पर आधारित होना चाहिए, जिसका उन चीजों से उचित और न्यायसंगत संबंध हो जिनके संबंध में वर्गीकरण किया जा रहा है; तथा बिना किसी उचित आधार के किया गया वर्गीकरण अमान्य माना जाना चाहिए। यदि वर्गीकरण अप्रासंगिक कारकों पर किया जाता है या प्रासंगिक कारकों को मान्यता नहीं दी जाती है, तो ऐसा वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की चुनौती का सामना नहीं कर सकता।

50. एक प्रशासनिक या विधायी उपाय वांछित परिणाम (आनुपातिकता परीक्षण) प्राप्त करने के लिए आवश्यक से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। 2014 के विवादित नियमों में कोई आनुपातिकता नहीं है, क्योंकि यह केवल डिप्लोमा धारकों को मिलने वाले लाभों की तुलना में उच्च डिग्री धारकों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। जिस भेद की मांग की गई है वह पूरी तरह से अस्पष्ट है, जिसका कोई अच्छा उद्देश्य नहीं है।

51. याचिकाकर्ताओं के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई.वी. गिरी और विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिन्हा ने दलील दी है कि 2014 के विवादित नियमों और केंद्रीय कानून में निहित प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समेटने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि अमान्यता की घोषणा से बचा जा सके। विवादित नियमों में से "नोट" को हटाकर यह सबसे अच्छा किया जा सकता है कि केवल वे बी. फार्मा और एम. फार्मा धारक ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अनिवार्य रूप से फार्मेसी में डिप्लोमा हासिल किया है।

52. ***चंद्रशेखर सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य : 2025 लाइव लॉ (एससी) 336/2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 595*** में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उम्मीदवारों को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनके पास निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री है।

53. यहां फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए चयन पूल पंजीकृत फार्मासिस्टों का है। इस संबंध में फार्मेसी अधिनियम और 2015 के विनियम प्रासंगिक हैं, जो फार्मासिस्ट की परिभाषा में डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों दोनों को शामिल करते हैं। राज्य ने 2014 के विवादित नियम बनाए हैं, जो केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि उसका उल्लंघन करते हैं। हालांकि विवादित नियम अलग क्षेत्र में आते हैं, फिर भी संवैधानिक वैधता का परीक्षण इस आधार पर किया जा सकता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, जो वर्ग विधान के बराबर है, जो न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का भी उल्लंघन करता है।

54. राज्य द्वारा किया जाने वाला सूक्ष्म वर्गीकरण किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। वर्गीकरण का उप-वर्गीकरण स्पष्ट रूप से

अनुचित है ***[पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंहः (2025) 1 एससीसी 1/2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1860*** भी देखें]।

55. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिन्हा ने ***फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ. एस.के. तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं अन्य : (2021) 10 एससीसी 657*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें यह माना गया है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीसीआई ने शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के साथ-साथ भारत में फार्मेसी के विषय को विनियमित करने के लिए कई विनियम तैयार किए हैं। फार्मेसी अधिनियम 1948 की प्रस्तावना के अनुसार, फार्मेसी के पेशे और अभ्यास के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषदों का गठन करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि पेशे का निर्बाध विनियमन हो।

56. फार्मेसी के क्षेत्र में, इस प्रकार, फार्मेसी अधिनियम, 1948 एक विशेष कानून है। फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से, धारा 10, 12, 13, 16, 29, 32, 35, 36 और 42 से यह स्पष्ट है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 विशेष रूप से सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, पाठ्यक्रम की सामग्री निर्धारित करना, छात्रों और शिक्षकों के लिए पात्रता की शर्तें, परीक्षा के मूल्यांकन मानक, पंजीकरण प्रदान करना, उसी अनुशासन में उच्च योग्यता प्राप्त करना, कुख्यात आचरण के लिए कार्रवाई करना आदि शामिल हैं। यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जो डिप्लोमा और बी. फार्मा दोनों को फार्मासिस्ट के लिए मुख्य योग्यता के रूप में मान्यता देती है। इस प्रकार, राज्य द्वारा किया जाने वाला भेद अस्वीकार्य है। फार्मेसी का विषय विशेष है, सामान्य नहीं, इसलिए इसके सभी परिप्रेक्ष्यों में फार्मेसी अधिनियम, 1948 को ही लागू किया जाना चाहिए। फार्मेसी अधिनियम की इस घोषणा को अस्वीकार करना राज्य के लिए नहीं है कि डी. फार्मा और बी.

फार्मा डिग्री धारकों को फार्मासिस्ट बनने का अधिकार है, बशर्ते कि वे संबंधित राज्य परिषदों में पंजीकृत हों।

57. राज्य को योग्यता के आधार पर पंजीकृत फार्मासिस्टों के बीच उपवर्गीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती [देखें ***डी.एस. नाकरा एवं अन्य बनाम भारत संघ : एआईआर 1983 एससी 130]***।

58. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी/राज्य, हालांकि उन उम्मीदवारों को स्वीकार करता है जिन्होंने पार्श्व प्रवेश के माध्यम से बी. फार्मा की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन वे उन उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं जिन्होंने विज्ञान के साथ 10+2 के बाद सीधे प्रवेश लिया है, जो कि माइक्रोक्लासिफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं है।

59. याचिकाकर्ताओं के पक्ष का समर्थन करते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.डी. संजय ने प्रस्तुत किया है कि काउंसिल ने दिनांक 13.03.2025 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुपालन हेतु संबंधित विज्ञापन में संशोधन करने तथा फार्मासिस्ट के पद के लिए पीसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थानों से बी. फार्मा या एम. फार्मा या फार्मा डी. उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि आज की तिथि में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता है।

60. फार्मेसी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए, उम्मीदवार को फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा या फार्मेसी या फार्मा डी में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

61. फार्मेसी में डिप्लोमा 10+2 के बाद दो साल का कोर्स है, जिसके बाद 500 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है, जो कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए होता

है, और फार्मेसी में डिग्री 10+2 के बाद चार साल का कोर्स है; जबकि फार्मा डी. 10+2 के बाद छह साल का कोर्स है। फार्मासिस्टों का पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य फार्मेसी परिषदों द्वारा किया जाता है। पंजीकरण फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 33 के साथ 32(2) के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार पंजीकरण के लिए न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताएं हैं: (ए) आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए; (बी) आवेदक को राज्य में निवास करना चाहिए या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करना चाहिए; (ग) आवेदक ने अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसके पास फार्मेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमोदित योग्यता हो या वह किसी अन्य राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्ट हो।

62. कोई भी फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे रोगियों और डॉक्टरों के बीच संपर्क का सामान्य बिंदु हैं और उन्हें बीमारी की रोकथाम और दवा सुरक्षा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

63. इस प्रकार, पीसीआई का मानना है कि यद्यपि अधिनियम और विनियमों में उल्लिखित प्रावधान, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन यदि फार्मासिस्ट के पद और फार्मासिस्ट के रूप में अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में देखा जाए, तो उच्च डिग्री वाले व्यक्तियों को बाहर करने के पीछे कोई तर्क नहीं है और यह सूक्ष्म वर्गीकरण के दोष से प्रभावित है, जो अपने आप में अस्वीकार्य है।

64. राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क यह हैं कि विचाराधीन मुद्दा अब पुनर्गठित नहीं रह गया है, क्योंकि इसे अनेक उदाहरणों के आधार पर सुलझाया जा चुका है।

65. एल.पी.ए. संख्या 1416/2018 ***[बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड अपने अध्यक्ष एवं अन्य के माध्यम से बनाम मो. आसिफ हुसैन एवं अन्य],*** जिसमें मुद्दा यह था कि क्या जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यता का निर्धारण एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित राज्य/केंद्र सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान/कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा होना है, इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि इस तरह के निर्धारण में योग्यता केवल डिप्लोमा धारकों तक ही सीमित है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि नियोक्ता के लिए योग्यता निर्धारित करना हमेशा खुला था और यदि पहले की नीति के खिलाफ कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इसे किसी भी मनमानी या कानून के उल्लंघन से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है; यह निर्णय ***ज्योति के.के. एवं अन्य बनाम केरल लोक सेवा आयोग एवं अन्य: (2010) 15 एससीसी 596; हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम अब्दुल गफ्फार खान एवं अन्य: (2006) 11 एससीसी 153; पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अनीता एवं अन्य: (2015) 2 एससीसी 170; पी.एम. लता एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य: (2003) 3 एससीसी 541; योगेश कुमार एवं अन्य बनाम सरकार (एनसीटी दिल्ली): (2003) 3 एससीसी 548***। डिवीजन बेंच के विचार को सुप्रीम कोर्ट ने अपील की विशेष अनुमति में बरकरार रखा, जिसमें एस.एल.पी. संख्या 1187/2019 शामिल है ***[बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अपने चेयरमैन एवं दो अन्य के माध्यम से बनाम मोहम्मद आसिफ हुसैन एवं पांच अन्य]***

66. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एल.पी.ए. संख्या 158/2020 ***[बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अरविंद कुमार एवं अन्य]*** तथा संबंधित अपीलों में लिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि केवल उच्च योग्यता सीधे प्राप्त करने तथा फार्मेसी में डिप्लोमा की मूल योग्यता के बिना किसी उच्च डिग्री धारक को चयन प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं बनाया जाएगा, जहां न्यूनतम निर्धारित योग्यता डिप्लोमा थी।

67. केरल और जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालयों ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं।

68. फिर से, याचिकाओं के एक समूह में, मुख्य मामला सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7714/2023 ***[अप्पू कुमार बनाम बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य]*** है, इस न्यायालय को, उसी संरचना में, एक समान मुद्दे से निपटने का अवसर मिला। उस मामले में, याचिकाकर्ताओं के पास एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी.टेक सिविल डिग्री थी, जिन्होंने बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम, 2023 के नियम 8 (i) (ii) और (iii) की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया था, इस आधार पर कि यह मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक है। चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई थी कि सामान्य नियम यह है कि उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित कम योग्यता पूरी करने वाला माना जाना चाहिए यदि उच्च योग्यता उसी चैनल/लाइन में है। नियमों में निर्धारित तकनीकी योग्यता को संकीर्ण रूप से पढ़ने से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के समान ही इंजीनियरिंग की उच्च डिग्री वाले योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाएगा।

69. यह तर्क दिया गया कि इस तरह की पात्रता योग्यता का निर्धारण मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक है क्योंकि यह उसी तर्क के आधार पर उच्च डिग्री वाले ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विचार से बाहर है। यह तर्क दिया गया कि पात्रता योग्यता के इस तरह के निर्धारण के पीछे कोई तर्क या उद्देश्य नहीं था।

70. ***ज्योति के.के. (सुप्रा) और पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य: (2021) 16 एससीसी 340*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में तर्कों को पुष्ट करने का प्रयास किया गया।

71. *ज्योति के.के.* **(**सुप्रा**)** मामले में केरल राज्य विद्युत बोर्ड में उप-इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय, केरल लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें पद के लिए योग्यता के रूप में तीन साल के अध्ययन के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रदान किया गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री धारकों और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को विचार के दायरे से बाहर कर दिया गया था। केरल लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया था कि इंजीनियरिंग में स्नातक और विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अलावा अन्य योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को उच्च योग्यता के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वे उस पद के लिए निर्धारित समकक्ष योग्यता नहीं थे और जिन व्यक्तियों के पास उच्च योग्यता थी, उन पर केवल तभी विचार किया जा सकता था जब उन्होंने निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद ऐसी उच्च योग्यता हासिल की हो। हालाँकि, केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1956 में एक प्रावधान यह था कि नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, उच्च योग्यताएँ जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व-धारणा करती हैं, भी पद के लिए पर्याप्त होंगी। केरल उच्च न्यायालय ने आवेदकों की दलीलों को खारिज कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि सरकार का यह विचार है कि उप-इंजीनियर के पद के लिए केवल डिप्लोमा धारकों को ही आवेदन करना चाहिए, लेकिन उच्च योग्यता रखने वाले सभी लोगों को नहीं, तो या तो संबंधित नियम को उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा जाना चाहिए था या स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि डिग्री धारक ऐसे पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जब वह स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन दूसरी ओर, नियम उसी संकाय में उच्च योग्यता रखने वालों को अयोग्य नहीं ठहराते हैं, तो यह स्पष्ट है कि नियम को उचित तरीके से नहीं समझा गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश कायम नहीं रहा और यह पाया गया कि उच्च योग्यता वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। हालाँकि, चूंकि डिप्लोमा धारकों का चयन

केरल लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ही किया जा चुका था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी नियुक्तियों में बाधा न डालने का फैसला किया, लेकिन राज्य को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध पात्र डिग्री धारकों के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।

72. उपर्युक्त निर्णय मुख्य रूप से नियमों के एक प्रावधान पर आधारित था, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी नियम या विशेष नियम या सरकार के कार्यकारी आदेशों या स्थायी आदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताओं में निहित किसी भी बात के बावजूद, विशेष नियमों में किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के बराबर, ऐसी उच्च योग्यताओं के लिए उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता का अधिग्रहण पूर्व-मान्यता होगी क्योंकि वह भी पर्याप्त होगी।

73. ***पुनीत शर्मा*** **(**सुप्रा**)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री तकनीकी रूप से उस विषय में डिप्लोमा से उच्च योग्यता है और क्या डिग्री धारक प्रासंगिक भर्ती नियमों के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

74. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता मैट्रिकुलेशन के साथ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए।

75. इस विषय में डिग्री धारकों ने भी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट कार्यवाही में दावा किया था कि चूंकि उनके पास निर्धारित न्यूनतम (और विज्ञापित) योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता है, इसलिए उन्हें विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

76. डिप्लोमा धारकों ने इस दावे का विरोध किया था और तर्क दिया था कि डिग्री धारकों की योग्यता न तो उच्चतर थी और न ही भर्ती नियमों के मद्देनजर और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

77. डिग्री धारकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि डिग्री धारकों की नियुक्ति को रोकने के लिए किसी भी प्रतिबंध के बिना न्यूनतम योग्यता निर्धारित किए जाने की स्थिति में, डिप्लोमा को केवल न्यूनतम आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए, विशेष रूप से सहायक अभियंता विद्युत के उच्च पदोन्नति पद पर नियुक्ति के नियमों के मद्देनजर, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रूप में उनकी नियुक्ति के समय डिग्री रखने वालों के लिए 5% कोटा प्रदान करते हैं और 5% उन लोगों के लिए अलग से जो अपनी पुष्टि के बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रूप में अपनी सेवा के दौरान डिग्री हासिल करेंगे। निर्धारित न्यूनतम योग्यता निश्चित रूप से एक नियोक्ता को उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार देगी क्योंकि "न्यूनतम" उसी के लिए एक कट-ऑफ फ़िल्टर प्रदान करता है और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों की भर्ती को रोकता नहीं है।

78. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने डिग्री धारकों के मामले का समर्थन किया था और तर्क दिया था कि संबंधित नियम की व्याख्या की जानी चाहिए और डिग्री धारकों को चयन का मौका देने के लिए लागू किया जाना चाहिए। ऐसा न करना बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों को बाहर करने और नियोक्ता को बेहतर योग्यता वाले उम्मीदवार को चुनने के अवसर से वंचित करने के बराबर होगा।

79. राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सार्वजनिक नियुक्ति के लिए बेहतर योग्य व्यक्तियों की तलाश करना नियोक्ता का अंतर्निहित अधिकार है और योग्यता की समतुल्यता न्यायालय द्वारा निर्धारित करने का विषय नहीं है।

80. इस प्रकार, डिप्लोमा धारकों के इस दावे को स्वीकार करने में उच्च न्यायालय का निर्णय कि डिग्री किसी विशेषज्ञ की राय के बिना डिप्लोमा से बेहतर योग्यता नहीं है, स्थापित कानून के विपरीत था।

81. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए ***पी.एम. लता बनाम केरल राज्य: (2003) 3 एससीसी 541*** में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। ***पी.एम. लता*** **(**सुप्रा**)** में मुद्दा यह था कि क्या प्रशिक्षित शिक्षक प्रमाणपत्र (टीटीसी) की निर्धारित और विज्ञापित योग्यता में बी-एड डिग्री वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि बी-एड योग्यता को टीटीसी से उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता और टीटीसी योग्यता विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को दी जाती है, जबकि बी-एड वाले उच्च कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

82. ***योगेश कुमार*** **(**सुप्रा**)** में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया।

83. सर्वोच्च न्यायालय ने ***ज्योति के.के.*** **(**सुप्रा**)** का भी हवाला दिया था और कहा था कि उसमें दिया गया निर्णय नियम के एक प्रावधान पर आधारित था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उच्च योग्यता वाले लोगों को पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता प्राप्त माना जाएगा और यह पात्रता के लिए पर्याप्त होगा।

84. ***पुनीत शर्मा*** **(**सुप्रा**)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया एक अन्य निर्णय ***पंजाब राज्य बनाम अनीता*** **(**सुप्रा**)** था। उस मामले में भी जेबीटी शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता दो साल की जूनियर बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग थी। यह माना गया कि एम.एससी, बी.एड और एम.ए. योग्यता वाले लोग नौकरी की प्रकृति को देखते हुए अयोग्य थे, जो कि प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने की थी।

85. इन सभी मामलों में ***ज्योति*** **(**सुप्रा**)** के तथ्यों से अंतर किया गया था, क्योंकि ज्योति में नियुक्ति प्राधिकारी के पास उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने का विकल्प था।

86. ***पुनीत शर्मा (सुप्रा) में संदर्भित अगला मामला जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद था: (2019) 2 एससीसी 404***। उस मामले में, विचाराधीन पद जम्मू और कश्मीर राज्य में विद्युत विकास विभाग में तकनीशियन-III का था। योग्यता के संबंध में प्रासंगिक शर्त मैट्रिकुलेशन के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई थी। उस मामले में, अपीलकर्ताओं के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा था, लेकिन वे अयोग्य थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, एक नियोक्ता के रूप में राज्य नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रखता है। राज्य को सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की अनिवार्यताएँ प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। राज्य एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में पूरी तरह से हकदार है कि वह सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखे, जिसके लिए सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों का सृजन आवश्यक है, जो अनिवार्य रूप से नीतिगत मामलों के क्षेत्र में आता है। न्यायिक समीक्षा को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

87. इसी संदर्भ में, ***जहूर अहमद राथर*** (सुप्रा) में, ***ज्योति के.के.*** (सुप्रा) में लिए गए निर्णय को विशेष रूप से एक विशेष वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा गया, जिसके तहत उच्च योग्यता रखने के लिए निम्न योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था, जिसे पद के लिए पर्याप्त माना जाता था।

88. उपरोक्त सभी निर्णयों को पढ़ने के बाद, ***पुनीत शर्मा एवं अन्य*** (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों की जांच की, विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए उप-कोटा की जांच की, जो डिप्लोमा धारक होंगे और जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा के दौरान डिग्री योग्यता प्राप्त करेंगे और उन उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत, जो जूनियर इंजीनियर के रूप में शामिल होने से पहले डिग्री हासिल करेंगे।

89. इस प्रकार, यह पढ़ा गया कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण के मन में यह बात थी कि डिग्री धारक भी समकक्ष या उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के रूप में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

90. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसी व्याख्या नहीं की गई तो मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार जूनियर इंजीनियर के रूप में शामिल होने से पहले डिग्री धारकों के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत उप-कोटा का कोई मतलब नहीं होगा।

91. सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित नियमों में नवीनतम संशोधन पर भी ध्यान दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जूनियर इंजीनियर के पद के लिए भी उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होंगे। हालांकि, संशोधित नियम भावी तौर पर लागू किए गए थे, लेकिन चूंकि वे केवल स्पष्टीकरण थे, इसलिए यह माना गया कि वे उस भर्ती पर लागू होंगे जो पहले से विवाद का विषय थी।

92. इस खंडपीठ ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या- 7714/2023 के साथ सी.डब्लू.जे.सी. संख्या- 8423/2023 ***[अप्पू कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अरविंद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य]*** में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

> *(क) जूनियर इंजीनियर के पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में विचाराधीन नियम बहुत विशिष्ट हैं, जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है;*
>
> *(ख) ऐसे अनुशासन में डिग्री रखने के पीछे कोई तर्क नहीं है कि यह इन-लाइन/चैनल उच्च योग्यता है जो डिप्लोमा की कम योग्यता को अपने में समाहित कर लेगी;*
>
> *(ग) पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है;*

(घ) निर्धारित योग्यता के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है;

(ङ) योग्यता की समतुल्यता भी ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके, जो सीधे राज्य/भर्ती प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है;

(च) इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय नियोक्ता विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है, विशेष रूप से पद की कार्यक्षमता और सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों के सृजन से संबंधित;

(छ) यह जानबूझकर किया गया कि नियमों में निर्धारित योग्यता के पहले "न्यूनतम" शब्द नहीं लगाया गया, जिससे डिप्लोमा की योग्यता ही पात्रता निर्धारित करने वाली एकमात्र योग्यता रह गई, जब तक कि उच्च योग्यता उसी लाइन/चैनल में न हो; (ज) इन कारणों से, ***ज्योति के.के. और पुनीत शर्मा*** *(सुप्रा)* *में दिए गए निर्णयों का संदर्भ याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन नहीं करता है।*

93. विद्वान महाधिवक्ता ने इस प्रकार संक्षेप में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कैडर नियम बनाने के लिए बिहार के राज्यपाल की क्षमता के बारे में कोई विवाद नहीं है। फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता के निर्देश फार्मेसी अधिनियम 1948 और विनियम 2015 में दिए गए हैं, जो केवल फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा तक सीमित है और यह भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम/सीमा योग्यता निर्धारित करने के राज्य के अधिकार को नियंत्रित नहीं करेगा। भर्ती प्रक्रिया को सीमित करने और इसे केवल डिप्लोमा धारकों तक सीमित रखने के पीछे एक तर्क है क्योंकि वे फार्मासिस्ट के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं और उनके पास नियुक्ति का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

94. आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च डिग्री वाले व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोका गया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनके पास डिप्लोमा की बुनियादी और आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। इस तरह के कानून/कैडर नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 या 19 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें एक स्पष्ट अंतर है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। पांच सौ घंटे का अनिवार्य अस्पताल प्रशिक्षण, जो एक डिप्लोमाधारी के लिए अनिवार्य है, बी. फार्मा के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यह इस तरह के वर्गीकरण के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करता है, जिसे वर्ग-कानून या सूक्ष्म वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता है।

95. विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि बी. फार्मा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में राजनयिकों के लिए पार्श्व प्रवेश का प्रावधान है, इससे बी. फार्मा पाठ्यक्रम या एम. फार्मा पाठ्यक्रम शिक्षा की एक ही पंक्ति/चैनल में नहीं आ जाएंगे।

96. राजनयिकों और स्नातकों को अलग-अलग विषयों में अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है।

97. इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी अर्थात राजनयिकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित किशोर और श्री संतोष कुमार ने प्रस्तुत किया है कि किसी कानून को केवल विधायी क्षमता की कमी और भारत के संविधान के भाग-III में किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही रद्द किया जा सकता है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर विधायी क्षमता की कमी के आधार पर कानून की वैधता पर सवाल उठाया जा सके।

98. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी अधिनियम को केवल मनमानी के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। इसे रद्द करने के लिए, मनमानी को किसी अन्य संवैधानिक दुर्बलता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 309 के माध्यम से आए नियम को अमान्य किया जा सके। न्यायविदों ने हमेशा इस बात की

आलोचना की है कि मूल प्रक्रिया केवल न्यायालयों को विधानमंडल के विवेक के मध्यस्थ की स्थिति में रखती है, ताकि किसी विशेष कानून को अधिनियमित किया जा सके [देखें ***अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य: (2008) 6 एससीसी 1; के.टी. प्लांटेशन (प्राइवेट लिमिटेड) और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य: (2011) 9 एससीसी 1***]।

99. यह तर्क दिया गया है कि अनुचितता, मनमानी और आनुपातिकता आदि की दलील हमेशा व्यक्तिपरकता का तत्व पैदा करेगी, जिसके आधार पर न्यायालय को किसी कानून को रद्द नहीं करना चाहिए; अन्यथा न्यायालय विधानमंडल के विवेक के स्थान पर अपना विवेक स्थापित कर देगा।

100. नियुक्ति के मामले में नियमों के माध्यम से न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना विशेषाधिकार है और यह प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि इसे कुछ व्यक्तियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए [देखें ***वी.के. सूद बनाम सचिव, नागरिक उड्डयन एवं अन्य: 1993 एससीसी (एलएनएस) 907/1993 सप. (3) एससीसी 9***]।

101. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हैं और इस शक्ति में भर्ती और सेवा या पद की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम शामिल हैं। वे प्रकृति में वैधानिक और विधायी हैं। इस प्रकार बनाए गए वैधानिक नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जा सकने वाले कानून के अधीन हैं। ***बी.एस. वडेरा बनाम भारत संघ और अन्य: एआईआर 1969 एससी 118/1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 39*** में, यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे, यानी, यदि उपयुक्त विधानमंडल ने कोई अधिनियम पारित किया है। इसकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति/राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम जिन्हें वह निर्देश दे सकता है, पूर्ण प्रभावी होंगे।

102. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर गहन विचार किया है।

103. एक अमेरिकी न्यायविद, अलेक्जेंडर बिकन ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा कानूनी व्यवस्था में एक प्रति-बहुसंख्यकवादी शक्ति है। जब भी किसी विधायी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो लोगों के प्रतिनिधियों की इच्छा को विफल कर दिया जाता है। किसी क़ानून को अमान्य करना एक गंभीर कदम है और इसलिए इसे बहुत ही दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में उठाया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग बहुत न्यायिक संयम के साथ किया जाना चाहिए।

104. प्रोफेसर *जेम्स ब्रैडली थायर* ने अपने मौलिक कार्य *"संवैधानिक कानून के अमेरिकी सिद्धांत की उत्पत्ति और दायरा"* में कहा है कि न्यायाधीशों को विधायी शाखा के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का ध्यान रखना चाहिए और विधायी निकाय के व्यावहारिक निर्णयों द्वारा संबोधित किए जाने वाले विचारों के व्यापक मार्जिन को पूर्ण और निष्पक्ष रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, थायर ने तर्क दिया है कि एक न्यायालय किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, न केवल इसलिए कि ऐसा करना संभव है या वह दृष्टिकोण रखता है, बल्कि केवल तभी जब वह एकमात्र संभव दृष्टिकोण हो, तर्कसंगत प्रश्नों के लिए खुला न हो और इसमें कोई संदेह न हो कि विचाराधीन कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और ऐसे निर्णय से बचने का कोई तरीका नहीं है।

105. यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक जो कानून को संवैधानिक बनाता है और दूसरा जो इसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह न्यायालय की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि कानून उसके विचार में बुद्धिमान है या मूर्खतापूर्ण या सही है या गलत। ***बिहार राज्य बनाम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह दरभंगा: (1952) 1 एससीसी 528*** में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सटीक रूप

से यह निष्कर्ष निकाला है कि विधायिका समुदाय के लिए क्या अच्छा है, इसका सबसे अच्छा न्यायाधीश है, जिसके मताधिकार से यह अस्तित्व में आता है [***मो. हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्यः एआईआर 1958 एससी 731; महंत मोती दास बनाम एसपी शाही : एआईआर 1959 एससी 942; बीआर एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्यः (1999) 9 एससीसी 700; बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेडः (1997) 2 एससीसी 453; और हमदर्द दवाखाना (वक्फ) बनाम भारत संघ; एआईआर 1960 एससी 554***]।

106. ***आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ; (1981) 4 एससीसी 675*** में यह देखा गया कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म आदि से संबंधित कानूनों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन विषयों पर कानून नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं।

107. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि ***भारत संघ एवं अन्य बनाम हेमराज सिंह चौहान एवं अन्य (2010) 4 एससीसी 290*** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है, सरकारों का संवैधानिक दायित्व आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना है, जो कल्याणकारी राज्य में उनकी भूमिका के अनुरूप है, लेकिन किसी कानून को हल्के में लेना वह बात नहीं है जो प्रतिपादित की गई है।

108. सरकार ने अपने विवेक से पाया है कि फार्मेसी में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम से अलग है। अनुभव से पता चला है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजनयिक बेहतर हैं।

109. क्या न्यायालय इस पर प्रश्न उठा सकते हैं?

110. जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने सही कहा है, यह तथ्य कि राजनयिकों के पास नियुक्ति का कोई अन्य रास्ता नहीं है और उन्होंने अस्पताल देखभाल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कुछ ऐसे सूचकांक हैं जिनके आधार पर नियम बनाए गए हैं। स्नातक डिग्री

धारकों को कोई छूट नहीं दी गई है, बशर्ते उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा की बुनियादी योग्यता हो।

111. ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित कैडर नियमों ने फार्मेसी में स्नातक/स्नातकोत्तर को किसी भी तरह के असंगत नुकसान में डाल दिया है। कई मौकों पर यह भी निर्णय लिया गया है कि बी. फार्मा और एम. फार्मा, राजनयिकों के समान शिक्षा के चैनल में नहीं हैं, इस तथ्य के बावजूद कि राजनयिक अपने दूसरे वर्ष में बी. फार्मा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश ले सकते हैं।

112. इसमें कोई संदेह नहीं है कि फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री उच्च योग्यता है, लेकिन जब कैडर नियमों में फार्मेसी में डिप्लोमा की अनिवार्य/न्यूनतम योग्यता तय की गई है, तो केवल इस आधार पर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता कि यह उचित या सही नहीं है या जैसा कि सुझाया गया है, मनमाना है। फार्मेसी अधिनियम 1948 और 2015 के विनियमों के तहत फार्मासिस्ट के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन के निर्देश केवल ऐसे स्नातकों, स्नातकोत्तरों और राजनयिकों की फार्मेसी का अभ्यास करने की पात्रता के संबंध में हैं, जो संबंधित राज्यों की फार्मेसी परिषदों के साथ उनके पंजीकरण के अधीन हैं, लेकिन यह भर्ती के मामलों से संबंधित नहीं है, जो उपयुक्त सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र में हैं।

113. इस प्रकार, यह पाया गया कि फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण और कैडर नियमों में "नोट" यह प्रावधान करता है कि उच्च डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की शर्त पर, न तो मनमाना है और न ही बहिष्कार पूर्ण है।

114. इस संबंध में, हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को किया गया अनुरोध पूरी तरह से अनुचित पाया है।

115. उपर्युक्त कारणों से सभी याचिकाएं विफल हो जाती हैं।

116. सभी रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

117. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी इस निर्णय के शर्त अनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्तिः मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।